न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 57/2024

सीताराम चौधरी पुत्र बालू जाति जाट निवासी बस्सी नागान तह0 जोबनेर जि0 जयपुर। वादी

बनाम

1. मंगलचन्द जाट पुत्र बालू
2. गोपाल लाल चौधरी पुत्र बालू
3. जगदीश चौधरी पुत्र बालू
4. रामेश्वर पुत्र बालू

   समस्त जाति जाट निवासी बस्सी नागान तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
5. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री हनुमान जाखड अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 04/07/2025

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि खाता नं0 147 की आराजी ख0न0 238/2 रकबा 1.5933 है0 ख0न0 339/1 रकबा 1.5427 है0 ख0न0 339/2 रकबा 0.1265 है0 ख0न0 340 रकबा 0.0253 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.2878 है0 जो वाकै ग्राम बस्सीनगान, पटवार हल्का बस्सीनागा, तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं01ल04 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वादी का उक्त अराजिया तमे 1/5 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी सं01 ल04 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इसी प्रकार मौके पर काबिज काश्त है। अराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है। अपने–अपने हिस्से की अराजीयात पर काविज काश्त है। विभजन आज से करीब 10 वर्ष पहले से ही कर रखा है। उक्त अराजियात पहले वालू के नाम से ही दर्ज थी। अब वादीगण राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी सं01 ल04 को मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कई वार कहा लेकिन प्रतिवादी आश्वासन देते रहे कि अपना सबका कब्जा काश्त तो है इसलिए आपको क्या परेशानी है विभाजन करवा लेगे। वादी ने प्रतिवादीगण से बार वार निवेदन किया परन्तु आज तक मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन नही करवाया गया। प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नही दिया। वादीगण ने दिनांक 31/05/2024 को प्रतिवादी सं01 ल04 को उक्त अराजियात का मौके कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण 1 ल04 ने साफ इंकार कर दिया। वादी मौके कब्जे व हिस्से के अनुसार रास्ता दर्शाते हुये उक्त आराजियात का विभाजन करवाना चाहता है। ताकि पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन नही है विभाजन नही होने की वजह से पक्षकारो के मध्य आये दिन सीवमेर का विवाद होता रहता है। जिसकी वजह से पक्षकारो के मध्य आपसी मनमुटाव व झगडा विवाद होने की संभावना रहती है। इसलिए वादी को यह वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण 1ल0 4 वाद बाबत विभाजन को डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नं01 मे वर्णित आराजियात खाता सं0 147 की अराजी ख0न0 238/2 रकबा 1.5933 है0 ख0न0 339/1 रकबा 1.5427 है0 ख0न0 339/2 रकबा 0.1265 है0 ख0न0 340 रकबा 0.0253 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.2878 है0 जो वाकै ग्राम बस्सीनगान, पटवार हल्का बस्सीनागा, तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। का मौके कब्जे के अनुसार रास्ता दर्शाते हुये वादी व प्रतिवादी सं0 1ल0 4 के मध्य विभाजन किया जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर दावा अंतिम डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 का अवलोकन किया। विवादित ख0न0 238/2 रकबा 1.5933 है0 ख0न0 339/1 रकबा 1.5427 है0 ख0न0 339/2 रकबा 0.1265 है0 ख0न0 340 रकबा 0.0253 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.2878 है0 वाकै ग्राम बस्सी नागा तहसील जोवनेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार खातेदार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है जबकि आपसी सहमति से काश्त की सुविधा से हिस्सा मुताविक बाहमी बंटवारा हो रखा है। इसलिए वादी मौके कब्जे अनुसार विभाजन करवाने की अधिकारी है। अतः दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

दावा वादी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित ख0न0 238/2 रकबा 1.5933 है0 ख0न0 339/1 रकबा 1.5427 है0 ख0न0 339/2 रकबा 0.1265 है0 ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

340 रकबा 0.0253 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.2878 है0 वाकै ग्राम बरसी नागा तहसील जोबनेर में दिनांक 06.12.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2024 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 18.06.2025 को कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत किये गये।

बहस अधिवक्ता वादी कुरेजात सुनी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी का वाद दिनांक 18.06.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 18.06.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 18.06.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम बरसीनागा

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	
1	गोपाललाल, जगदीश पुत्र बालु हि0 2/3 कौम जाट बिना रहन सा.देह रामेश्वर पुत्र बालु हि0 1/3 कौम जाट राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर मुर्तहीन सा. देह	A/238/2 339/2 A/339/1	0.9560 0.1265 0.8750	बजंड 1 बजंड 1 चाही 1 0.8725 जाव 1 0.0025	
		किता–3	1.9575		
2	सीताराम, मंगलचन्द पुत्र बालु कौम जाट सा. देह व.हि. बराबर	B/238/2 B/339/1	0.6373 0.6677	बजंड 1 जाव 1	
		किता–2	1.3050		
3	रामेश्वर पी0 बालु हि0 1/5 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबेनर मुर्तहीन गोपाललाल, जगदीश, सीताराम, मंगलचन्द पुत्र बालु हि0 4/5 कौम जाट सा. देह बिना रहन	340	0.0253	गै.मु. चाह	
		कुल किता– 06	3.2878		

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 18.06.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 18.06.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को टंकित कराया जाकर गजगेआम में सुनाया गया।

04.07.2025

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर